

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड
लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश (देहरादून)

पत्रांक— /23सी0
सेवा में,

दिनांक— / /2017

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय:— जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौडा द्वारा से चमेली चौक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.01 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:— आपका पत्रांक 1279/12-1 दिनांक 28.09.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग निर्माण हेतु ई0डी0एस0 क्वेरी के अनुसार 3 बिन्दुओं की ऑनलाईन सूचना आपके द्वारा मांगी गयी थी।

- 1- Short narrative of Project in online Part one to समुहर हस्ताक्षर की मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
- 2- लो0नि0वि0 द्वारा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि के बदले दुगने सिविल सोयम भूमि को ग्राम द्वारा के स्थान पर ग्राम क्यारा की 6.02 है0 सिविल सोयम भूमि चयनित की गई परन्तु ग्राम सभा क्यारा द्वारा उक्त सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मौखिक रूप से आपत्ति व्यक्त की गई। मा0 विधायक विधानसभा क्षेत्र रायपुर द्वारा उक्त मार्ग निर्माण हेतु मौखिक रूप से आदेश दिये गये कि उक्त मार्ग निर्माण हेतु ग्राम द्वारा में ही 6.02 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण किया जाये। जिसके कम में जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 45/12ए0-7(2017-20)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 06.11.2017 के द्वारा उक्त सिविल भूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण करने हेतु उपजिलाधिकारी सदर देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया। प्रति संलग्न है।
- 3- इस कार्यालय के पत्रांक सं0 कैम्प/23सी0 देहरादून दिनांक 01.02.2016 के द्वारा अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी को मूल प्रस्ताव की तीन प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। प्रति संलग्न।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग निर्माण हेतु उक्त ऑनलाईन प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न :- उक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

पत्रांक— 4777 /23सी0
प्रतिलिपि:—

दिनांक— 18 //2017

1. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- ✓ 2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता प्रथम/खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश